न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 96/2025 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा
साहिल पुत्र ईशाक जाति मुसलमान निवासी पालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक अधिकारी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा)
...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा
एफ.आई.आर. नंबर 217/2025 पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसाअंतर्गत धारा 3, 5,6 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955

उपस्थितः1. श्री रामखिलाडी योगी, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 20.02.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा दिनांक 8.8.2025 को 03 गोवंश भरकर ले जा रही पिक अप वाहन संख्या आरजे 40 जीए 7347 को अभियोग संख्या 217/2025 अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8 गोवंश अधिनियम में जब्त किया गया। पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा उक्त पिक अप वाहन संख्या आरजे 40 जीए 7347 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी की छाया प्रति तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति अभियोजन अधिकारी को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहसमेंकथन किया कि प्रार्थी वाहन संख्या आरजे 40 जीए 7347 का पंजीकृत स्वामी है। इसलिए उक्त वाहन को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने का अधिकारी है। पुलिस थाना मण्डावर द्वारा प्रार्थी के उक्त वाहन को अंतर्गत धारा 3, 5, 6 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 को उक्त प्रकरण में जब्त किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थी को मात्र वाहन का स्वामी होने के नाते मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी वरवक्त जमानत पर आजाद है तथा पुलिस द्वारा आवेदक व अन्य मुल्जिमानों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा उक्त वाहन के सिवाय आजीविका का कोई स्त्रोत नहीं है। प्रार्थी का इस कथित अपराध से कोई संबंध/वास्ता नहीं है। वाहन का उपयोग प्रार्थी की बिना जानकारी या सहमति के किया गया था जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी भी नहीं थी। प्रार्थी ने अपने परिचित को वाहन भाडे पर दियाथा जिसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा झूंठा फसाया गया है। उक्त प्रकरण की घटना में वाहन का कोई दोष नहीं है तथा वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तफ्तीश शेष नहीं है। उक्त प्रकरण के [illegible] काफी समय लगेगा जब तक वाहन नहीं छोडा जाता है तो वाहन की [illegible] तत्पश्चात वाहन की सुपुर्दगी का कोई महत्व नहीं है। जब्त किया गया वाहन प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। वाहन लंबे समय तक थाने या यार्ड में खडा रहने से [illegible] हो रहा है जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के समाने परिवार के लालन पालन करने हेतु भारी संकट खडा हो जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय उव विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों में यह सिद्धान्त सीापित किया है कि मामले के अन्तिम निपटारे तक वाहन को जब्त रखना उचित नहीं है। प्रार्थी

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी उचित शर्त जैसे जुर्माना (यदि लागू हो)या जमानत गारंटी प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। प्रार्थी सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसे यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा कोई अपराध किया जा रहा था या होने की संभावना थी उसने अपराध को रोकथाम में उचित सावधानी बरती थी। प्रार्थी श्रीमानजी के सन्तुष्ट जमानती तथा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा पिक अप वाहन आरजे 40 जीए 7347 को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर देने के आदेश प्रदान करावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दिनांक 8.8.2025 को वाहन संख्या आरजे 40 जीए 7347 पिक अप में गौ वंश को गो कशी हेतु ले जा रहे थे जिनको पुलिस थाना मण्डावर द्वारा जब्त किया गया था। जब्तशुदा वाहन में 03 गोवंश भरे हुए थे जिनका मुंह व पैर बांधकर ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। इस प्रकार अवैध रूप से गोवंश को गोकशी के लिए राजस्थान से हरियाणा परिवहन करना अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 6 व 8 गोवंश अधिनियम प्रमाणित है। प्रकरण में चार्जशीट नंबर 219/2025 दिनांक 6.10.2025 किता की जाकर दिनांक 9.10.2025 को मुल्जिमान आसीन, फकरूद्दीन व साहिल के खिलाफ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा में चालान पेश किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

5. इस संबंध में राज. गोवंशीय पशु अधिनियम की धारा 6 ए के प्रावधान निम्नानुसार है जो अवलोकनीय है:–

" 1 6-A. Confiscation of the means of conveyance.- (1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.

(2) Where any means of conveyance referred to in sub-section (1) is seized in connection with the commission of any offence punishable under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Competent Authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the Competent Authority, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said means of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Competent Authority that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Competent Authority may not confiscate the said means of conveyance:

Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, no order of confiscation of such means of conveyance shall be passed by the Competent Authority and the matter shall be reported to the State Government by the Competent Authority for making such order as regarding means of conveyance as the State Government may deem fit:

Provided also that before ordering confiscation under this sub-section, the owner of the means of conveyance referred to in sub-section (1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

Provided also that an owner of a means of conveyance shall not be given option under the preceding proviso, if he had been given option under that proviso at an earlier occasion.

(3) Whenever any means of conveyance as referred to in sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Competent Authority shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal or release of such means of conveyance.

(4) Where the Competent Authority is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance, as referred to in sub-section (1), seized for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold.

(5) Any order of confiscation made by the Competent Authority shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.".

6. हमने पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

- प्रकरण के तथ्य एवं संलिप्तताः वाहन पिकअप (रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ40-GA-7347) को दिनांक 09/08/2025 को जब्त किया गया था, जिसमें कुल 03 गोवंश (मादा) रस्सियों से मुंह व पैर बंधे हुए भरे मिले थे, जिनका अवैध रूप से गोकशी के लिए परिवहन किया जा रहा था। यह अपराध धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 के तहत आता है।
- वाहन स्वामी की भूमिकाः अनुसन्धान में वाहन स्वामी साहिल पुत्र ईशाक के खिलाफ धारा 6, 8 गौवंश अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। मुल्जिम साहिल को गिरफ्तार कर चालान दिनांक 06/10/2025 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा में पेश किया जा चुका है। आवेदक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने अपना वाहन भाड़े पर दिया था।
- अधिहरण (**Confiscation**)ः जब्तशुदा वाहन का उपयोग गोकशी के लिए अवैध गोवंश परिवहन जैसे गंभीर अपराध में हुआ है। इस अधिनियम के तहत, कलेक्टर को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वह संतुष्ट हो जाए कि वाहन का उपयोग अपराध में हुआ है, तो वह उसे अधिहरण (**Confiscation**) करने का आदेश दे सकता है।
- वाहन स्वामी को रिहाई का अधिकार (**Right of Release**)ः चूंकि वाहन स्वामी ने यह दावा किया है कि वाहन उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है और उसने न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को मानने की सहमति दी है इसलिए अधिहरण के आदेश के साथ, वाहन स्वामी को जुर्माना (**Fine**) जमा कराकर वाहन को अस्थायी रूप से प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना न्यायोचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सिद्धांतों के [illegible] वाहन को जब्त रखना उचित नहीं है, क्योंकि वह क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- अधिहरण की कार्यवाहीः चूंकि वाहन स्वामी [illegible] अपराध में संलिप्त पाया गया है, यह प्रथम दृष्टया अपराध में प्रयुक्त वाहन के [illegible] मामला बनता है, लेकिन अंतिम निस्तारण न्यायालय में विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

- निष्कर्षः प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर, जब्तशुदा वाहन को इस आदेश द्वारा अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन आवेदक को पर्याप्त जुर्माना और जमानतें जमा कराकर इसे अस्थायी रूप से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है।
- आदेश (**Operative Order**):—उपरोक्त विस्तृत कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता हैः
- वाहन नम्बर आर.जे. 40 जी.ए. 7347 का उपयोग राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 के तहत गंभीर अपराध में होना प्रमाणित होने के कारण, उक्त वाहन को अधिहरित (**Confiscated**) किया जाता है।
- सशर्त सुपुर्दगी द्वारा रिहाई का अधिकार (**Right of Release on Payment of Fine**):
- अधिहरण के आदेश के बावजूद, आवेदक श्री सहिल पुत्र ईशाक को निम्न शर्तों और जुर्माना जमा कराने पर वाहन नम्बर आर.जे. 40 जी.ए. 7347 को अस्थायी रूप से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता हैः
- जुर्माना (**Fine**): आवेदक वाहन के मूल्य (जो कि बीमा के दस्तावेजों से सिद्ध होता है) का 70 प्रतिशत अर्थात 6,75,000/—रू0 (अक्षरे छह लाख पिचहत्तर हजार रूपये मात्र)का जुर्माना (**Fine**) इस न्यायालय में जमा कराएगा। नियत समयावधि में जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर पुलिस थाना मंडावर द्वारा वाहन की नीलामी खुली बोली द्वारा की जावेगी।
- बंध पत्र (**Surety Bond**): आवेदक एक लाख रुपये (₹1,00,000/—) का व्यक्तिगत बंध पत्र (**Personal Bond**) तथा दो सक्षम एवं संतोषजनक जमानतें (₹1,00,000/— की) इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
- अन्य शर्तें:—जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। (इस हेतु वह अपना स्थाई पता, दूरभाष नंबर, ई मेल एड्रैस, व व्हाट्सअप नंबर शपथ पत्र पर प्रस्तुत करे)
- छायाचित्र एवं सुपुर्दनामाः आवेदक सुपुर्दगी से पूर्व जब्तशुदा वाहन के नवीनतम फोटो (चारों दिशाओं से) और एक विस्तृत सुपुर्दनामा (**Supurddagi Nama**) न्यायालय में जमा कराएगा।
- वाहन का विक्रय/हस्तांतरण निषेधः आवेदक सक्षम न्यायालय के आगामी आदेश के बिना उक्त वाहन को बेचेगा/हस्तांतरित करेगा या उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- आवश्यकता पर प्रस्तुतिः आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी संबंधित न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा) या प्राधिकारी द्वारा वाहन को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए, वह वाहन को उसी स्थिति में तत्काल प्रस्तुत करेगा।

7. निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना मंडावर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official